

Sc-00-3CR

4

कार्यालय न. खठ पुलिस अधीक्षक आगरा ।
पत्रांक: एसएसपी-बी-21/09 & एससी/एसटी
सेवा में, दिनांक: मार्च 20, 2009

सहायक निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
छठी मंजिल "बी" विंग, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 ।

विषय:
महोदय,
19/4/09
S. G. G. G.

श्रीमती बबीता पत्नी स्व० श्री अनिल कुमार निवासी-नाहरगंज
थाना ताजगंज आगरा के शिकायती प्रार्थना पत्र पर जॉच
आख्या का प्रेषण ।

कृपया आप अपने फाइल न० बी/एसटी/यूपी/133/2009/
आरयू-1 दिनांकित: 16.02.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

उक्त संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती
बबीता पत्नी स्व० श्री अनिल कुमार निवासी उपरोक्त के शिकायती
प्रार्थना पत्र की जॉच पुलिस अधीक्षक, श्री संजीव कुमार वाजपेयी, क्षेत्रा-
धिकारी सदर आगरा द्वारा कराई गई ।

क्षेत्राधिकारी सदर आगरा की जॉच आख्या के अनुसार पाया
गया कि आवेदिका के पति अनिल उर्फ अनिल पुत्र श्री सनक सिंह बेडिया निह
नाहरगंज थाना ताजगंज आगरा का शव नाले में पड़ा हुआ मिलने के कारण
आवेदिका द्वारा थाना ताजगंज आगरा पर मु०अ०स० 67/09 धारा 147/82
323/504/336/427/302 भादाघ. व 38 28 5 एससी/एसटी एक्ट का अभि-
योग बनाम जीमल, हारून, ईश्वर, नाजिम, कलुआ, झिल्ली, शाकील, शमशुद्दीन
बन्ने, बिल्लू व दिलशाद समस्त निवासीगण ताजगंज आगरा के विरुद्ध पंजी-
कृत कराया गया है जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर आगरा द्वारा की
जा रही है । विवेचना गुण दोष के आधार पर करने हेतु निर्देशित किया
गया है ।

क्षेत्राधिकारी सदर आगरा की जॉच आख्या दिनांकित: 7.03.
2009 आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

श्री कृष्ण
अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/
नोडल अधिकारी मानवाधिकार
आगरा ।

---:---